


बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

BOI



असाधारण आम बैठक
सोमवार, 28 सितम्बर, 2015
सुबह 10.30 बजे

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Monday, 28th September, 2015
10.30 A.M.

प्रधान कार्यालय:

स्टार हाउस, सी-5 "जी" ब्लॉक,
बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051.

बैंक ऑफ़ इंडिया

रिशतों की जमापूँजी



HEAD OFFICE:

STAR HOUSE, C 5, G BLOCK
BANDRA KURLA COMPLEX,
BANDRA (EAST),
MUMBAI - 400 051

सूचना

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक सोमवार, 28 सितम्बर, 2015 को सुबह 10.30 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी -5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 में निम्नलिखित विशेष कारोबार करने के लिए की जाएगी:

1. एक विशेष संकल्प के रूप में, विचार करने और यदि उपयुक्त माना गया तो निम्नलिखित संकल्प को आशोधनों के साथ अथवा बिना, पारित करने हेतु:

“यह संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एंड मिटिंग्स) विनियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदनों, सम्मतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यक्षीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जाए और सेबी (इश्यू ऑफ़ कैपिटल एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन, 2009 [सेबी- आईसीडीआर विनियमन], भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर और टेकओवर का पर्याप्त अर्जन) विनियमन, 2011 एवं समय-समय पर आरबीआई एवं अन्य संबन्धित प्राधिकरणों द्वारा विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक बोर्ड (इसके पश्चात इसे “बोर्ड” कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को सहमति प्रदान की जाती है कि भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर कुल ₹ 2,455 करोड़ तक सेबी-आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) के अनुसार निर्धारित ₹ 183.30 प्रति इक्विटी शेयर्स के प्रीमियम सहित ₹ 193.30 प्रति शेयर पर नकद हेतु ₹ 10/- प्रत्येक (रुपये 10 केवल) के 12,70,04,655 तक के इक्विटी शेयर्स सृजित, ऑफर, इश्यू और आबंटित किया जाए”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य (इश्यू प्राइज) के निर्धारण की संबंधित तारीख 28 अगस्त, 2015 है।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/एसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे प्राधिकरणों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सम्मतियां, अनुमतियां और स्वीकृतियां प्रदान करते/देते समय पर अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर्स बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर के साथ समरूप रैंक के होंगे और उन सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किए गए, लाभांश, यदि कोई हो, के लिए हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय पर प्रवृत्त हों।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटान करे जो इक्विटी शेयरों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया हुआ है।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और उसे एतद्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह उपरोक्त संकल्प को लागू करने के लिए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा किसी भी कार्यपालक निदेशकगण और बैंक के ऐसे किसी अन्य अधिकारी को, जैसा वह उचित समझे, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर दे।”

निदेशक मंडल के आदेश से

एम ओ रेगो

(एम.ओ. रेगो)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

मुंबई

दिनांक : 28.08.2015

टिप्पणियां

1. बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार शेयरधारक स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान के लिए नियुक्त कर सकता है तथा ऐसे परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। वैध एवं प्रभावी होने के लिए परोक्षी फार्म बुधवार, 23 सितम्बर, 2015 को बैंक के कार्य की समाप्ति अपराह्न 4.30 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय में अवश्य ही प्राप्त हो जाने चाहिए।
2. किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम जो बैंक के शेयरधारक हैं के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति, उस बैठक जिसमें वह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति को बैंक के प्रधान कार्यालय में बुधवार, 23 सितम्बर, 2015 को बैंक के कार्य समय समाप्ति अपराह्न 4.30 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो।
3. शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें। शेयरधारक के परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची पर “परोक्षी” या “प्राधिकृत प्रतिनिधि” जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।
4. व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरों के अंतरण और शिकायत निवारण के लिए वे बैंक या रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स शेयर प्रो सर्विसेज (इंडिया) प्रा. लि. को निम्नलिखित पते पर लिखें:

कंपनी सचिव

बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय,

स्टार हाउस, सी-5, “जी” ब्लॉक,

8 वीं मंजिल,

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),

मुंबई - 400 051.

फोन - 66684444

ई-मेल : Headoffice.share@bankofindia.co.in

Website: www.bankofindia.co.in

बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट्स :

मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेज (इंडिया) प्रा. लि.

यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया,

13 एबी समहिता वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स,

निकट अंधेरी कुर्ला रोड,

साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज लेन,

साकीनाका, अंधेरी पूर्व,

मुंबई - 400 072.

टेलीफोन: 22-67720300/ 67720400 फैक्स : 22-28591568

ई मेल: boi@shareproservices.com

6. रिमोट ई वोटिंग

बैंक सहर्ष, नोटिस में उल्लेख किए गए मर्दानों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। बैंक ने श्री एस.एन. अनंतसुब्रमनियम एण्ड कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए स्कूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/स्वामित्व हितधारकों का ई-वोटिंग अधिकार उनके द्वारा यथा सोमवार, 21 सितम्बर, 2015 को धारित ईक्विटी शेयरों पर माना जाएगा जो

इस हेतु कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख पर भौतिक अथवा डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखनेवाले शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं।

7. ई-वोटिंग अनुदेश

- i. शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार इस उद्देश्य से नियत यथा 21 सितम्बर, 2015 (कट-ऑफ तारीख) को बैंक के प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी के अनुपात में उनके द्वारा धारित शेयर के आधार पर होगा।
- ii. ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2015 के सुबह 10.00 बजे आरंभ होगी और रविवार, 27 सितम्बर, 2015 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। एनएसडीएल द्वारा उसी दिन शाम 5.00 बजे ई-वोटिंग मोड्यूल को डिसेबल कर दिया जाएगा।
- iii. यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पंजीकृत हैं तो आप वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- iv. कवरिंग पत्र के अंत में निम्नानुसार प्रारंभिक पासवर्ड दिया गया है।
- v. निम्नलिखित URL टाइप करके इंटरनेट ब्राउज़र आरंभ करें : <https://www.evoting.nsdl.com/>
- vi. शेयरहोल्डर पर क्लिक करें व लॉग इन करें।
- vii. उपरोक्त (i) में दिए गए अनुसार प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में पासवर्ड डालें। लॉगइन पर क्लिक करें।
- viii. पासवर्ड बदलने का मेन्यू आया। अपनी पसंद के नए पासवर्ड से इस पासवर्ड को बदलें जिसमें न्यूनतम 8 डिजिट/कैरेक्टरों का कॉम्बिनेशन हो। नए पासवर्ड को नोट करें। कृपया अपना पासवर्ड किसी को भी न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें।
- ix. ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा। ई-वोटिंग पर क्लिक करें : वोटिंग सायकल को एक्टिव करें।
- x. 102875 में "EVEN" को चुनें।
- xi. अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि 'Cast Vote' पृष्ठ खुलेगा।
- xii. उचित विकल्प का चयन करके अपना वोट डालें और "submit" पर क्लिक करें और साथ ही पूछे जाने पर "confirm" भी करें।
- xiii. पुष्टिकरण के पश्चात "Vote cast successfully" प्रदर्शित होगा।
- xiv. एक बार संकल्प पर वोट दे देने के पश्चात आपको वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- xv. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् एकल व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) को संगत बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) और वोट देने हेतु विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर ई-मेल द्वारा scrutinizer@snaco.net को भेजने चाहिए और उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को प्रेषित करना चाहिए।
- xvi. एक से अधिक फोलियो/डीमैट खाते रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग वोटिंग प्रक्रिया चुनेंगे। फिर भी, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अनुसार भारत सरकार के अलावा किसी भी अन्य शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।
- xvii. यह सलाह दी जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी को भी न बताएं और उसे गोपनीय रखें।
- xviii. ई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा बैंक अपनी वेबसाइट पर करेगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी उसकी सूचना देगी।
- xix. कृपया नोट करें कि एक बार वोट देने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते या वार्षिक आम बैठक में चुनाव में वोट नहीं कर सकते। तथापि, आप बैठक में भाग ले सकते हैं और चर्चा, यदि कोई हो, उसमें भाग ले सकते हैं।
- xx. यदि कोई सवाल हो, तो आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे गए प्रश्न (FAQ) देख सकते हैं या www.evoting.nsdl.com में Download सेक्शन में शेयरधारकों के लिए उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं।
- xxi. आप फोलियो में यूजर प्रोफाइल ब्योरों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आई डी दे सकते हैं जिसका उपयोग करते हुए आपको भविष्य में संसूचनाएं प्रेषित की जा सकती हैं।

8. बैठक में मतदान :

कार्यसूची मद पर चर्चा के पश्चात अध्यक्ष महोदय कार्यसूची के मद के संबंध में मतदान का आदेश देंगे। मतदान होगा और उसका पर्यवेक्षण इस कार्य हेतु नियुक्त स्कूटिनाइजर करेंगे। मतदान पूरा होने के बाद अध्यक्ष बैठक समाप्ति की घोषणा करेंगे। मतदान और ई-वोटिंग के जोड़ से तैयार परिणामों की घोषणा बैंक अपनी वेबसाइट पर करेगा और उसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को भी देगा।

व्याख्यात्मक विवरणपत्र

सेबी-आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VII अनुसार किए जाने के लिए यथा अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरणपत्र और प्रकटन

मद संख्या. 1

1. बैंक, बैंकिंग व्यवसाय एवं इससे संबंधित गतिविधियों का कारोबार करता है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी ₹ 3000 करोड़ है और आज की तिथि में बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 664.91 करोड़ है।
2. वर्तमान में हमारे बैंक में भारत सरकार की शेयर धारिता ₹ 428.37 करोड़ है, जो बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का 64.43% है। 30 जून, 2015 को पूंजीगत निधि से जोखिम भारित आस्तियां निम्नानुसार हैं:

| विवरण | राशि ₹ (करोड़ों में) | पूंजीगत निधि से जोखिम भारित आस्ति बासेल-III का % |
|-------------------------------|----------------------|---|
| जोखिम भारित आस्तियां | 360,790 | |
| कॉमन इक्विटी कैपिटल (सीईटी-1) | 26,087 | 7.23% |
| अतिरिक्त टियर-I पूंजी | 3,618 | 1.00% |
| टियर-I पूंजी | 29,705 | 8.23% |
| टियर -II पूंजी | 9,069 | 2.51% |
| कुल पूंजी | 38,774 | 10.75% |

3. बैंक पिछले कई वर्षों से एक उल्लेखनीय औसत वृद्धि दर पर सामान्य गति से विकास कर रहा है। लंबी अवधि के संसाधन जुटाने एवं सामान्य उधार उद्देश्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराने के माध्यम से कारोबार विस्तार करने हेतु निधियों की वृद्धिशील आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जैसा कि निदेशक मण्डल विनिश्चित करे, जो समय-समय पर यथा संशोधित ('सेबी आईसीडीआर विनियमन') भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2009 के अनुसार, भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम के माध्यम से, बैंक ने निधियां जुटाने का प्रस्ताव किया है।
4. वर्तमान संकल्प का पारित किया जाना इसलिए प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मंडल उपरोक्त अधिमानी निर्गम एवं आबंटन कर सके।
5. **प्रस्तावित अधिमानी इश्यू के उद्देश्य**
पूंजी पर्याप्तता से संबंधित बासेल (II एवं III) अपेक्षाओं के अनुपालन के उद्देश्य से, पूंजी उठाने की सतत आवश्यकता रहती है। सरकार के स्वामित्व की वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए बैंकों में अतिरिक्त इक्विटी पूंजी लगाने का भारत सरकार का प्रस्ताव है। इस प्रकार अर्जित पूंजी का प्रयोग, बैंकों की पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने और बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
6. **प्रस्ताव के अभिदान के लिए इश्यू के प्रवर्तकों/निदेशकों/मुख्य प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्ताव**
इक्विटी शेयरों के निम्नलिखित प्रस्तावित ऑफर का अभिदान बैंक के प्रवर्तक - अर्थात् भारत सरकार के अलावा कोई निदेशक अथवा मुख्य प्रबंधन अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।

7. प्रस्तावित अधिमानी प्रस्ताव के पूर्व और पश्चात शेयर होल्डिंग पैटर्न:

| क्रमांक | शेयरहोल्डर्स के नाम | शेयर की संख्यानुसार प्री-अलॉटमेंट यथा 30.06.2015 | प्री-अलॉटमेंट में प्रदत्त पूंजी का % | वर्तमान आबंटन | शेयरों की संख्यानुसार पोस्ट अलॉटमेंट (अनुमानत) | पोस्ट अलॉटमेंट प्रदत्त पूंजी का % |
|---------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|
| 1. | प्रवर्तक समूह भारत के राष्ट्रपति | 42,83,67,513 | 64.43 | 12,70,04,655 | 55,53,72,168 | 70.13 |
| 2. | आम जनता | 23,65,41,002 | 35.57 | - | 23,65,41,002 | 29.87 |
| 3. | कुल | 66,49,08,515 | 100.00 | 12,70,04,655 | 79,19,13,170 | 100.00 |

8. भारत के राष्ट्रपति का पूर्ण एवं पश्चात इश्यू शेयरधारित्व निम्नानुसार है:

| भारत के राष्ट्रपति | इक्विटी शेयरों की संख्या | कैपिटल का प्रतिशत |
|--------------------|--------------------------|-------------------|
| प्री-इश्यू | 42,83,67,513 | 64.43 |
| पोस्ट-इश्यू | 55,53,72,168 | 70.13 |

समयावधि जिसके भीतर यह अधिमानी इश्यू पूर्ण किया जाएगा:

बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमन में निर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर इश्यू प्रक्रिया पूरा करने का प्रयास करता है।

- ए) भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 19 अगस्त, 2015 द्वारा भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) के पक्ष में बैंकमें अधिमानी इक्विटी के रूप में ₹ 2455 करोड़ (रुपये दो हजार चार सौ पचपन करोड़ मात्र) की सीमा तक पूंजी को बढ़ाने के अपने उद्देश्य को सूचित किया है।
- बी) बैंक के प्रवर्तक की हैसियत से भारत सरकार का बैंक के ऊपर नियंत्रण जारी रहेगा तथा प्रस्तावित अधिमानी आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- सी) भारत सरकार (प्रवर्तक) की शेयरधारिता में 5% से अधिक के परिवर्तन होने के कारण, सेबी (शेयरों एवं टेकओवर का पर्याप्त अधिग्रहण) अधिनियम, 2011 के तहत यथा आवश्यक आवेदन प्रस्तावित अधिमानी आबंटन को उक्त विनियम के प्रावधानों की प्रयोजनीयता से छूट के लिए सेबी (SEBI) से उपलब्ध कराया जाएगा।

9. प्रस्तावित अधिमानी निर्गम (इश्यू) का मूल्य निर्धारण

निर्गम का मूल्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VII में उल्लिखित अधिमानी निर्गम(इश्यू) हेतु यथा लागू तथा अद्यतन संशोधित विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

10. सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्रमाणन:

मेसर्स ग्रोवर, लल्ला और महेता, सनदी लेखाकार, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक ने यह प्रमाणित किया है कि शेयरों का निर्गम सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार किया जा रहा है। उपर्युक्त प्रमाणपत्र प्रति को बैंक की असाधारण आम बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 2015 में उपलब्ध कराई जाएगी।

11. लॉक-इन अवधि:

- ए) अधिमानी शेयरों के लिए सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार को अधिमानी आधार पर जारी करने हेतु प्रस्तावित शेयर ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष तक लॉक-इन अवधि के अध्यक्षीन रहेंगे।
- बी) भारत सरकार की संपूर्ण पूर्व-अधिमानी धारिता संदर्भ तारीख से शुरु होकर एक अवधि के लिए लॉक किया जाएगा जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनुदत्त ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से 6 महीनों की अवधि तक का होगा।

12. अनुपालन:

- ए) स्टॉक एक्सचेंजों सहित, जहां बैंक के इक्विटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं, सूचीकरण करार में निर्दिष्ट इक्विटी शेयरों के निरंतर सूचीकरण की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है।
- बी) संबंधित तिथि के बाद 6 महीनों के दौरान भारत सरकार ने कोई इक्विटी शेयरों की बिक्री नहीं की है।
- सी) भारत में विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों सहित, जहां बैंक के इक्विटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं, बैंक द्वारा निष्पादित सूचीकरण करार के खंड 23 में अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था है कि जब अतिरिक्त शेयर्स के आबंटन द्वारा बैंक की निर्गमित पूंजी में वृद्धि की जानी प्रस्तावित हो, ऐसे शेयर्स, तब तक सबसे पहले बैंक के वर्तमान शेयरधारकों को बैंक में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु प्रस्तावित किए जाएंगे, जब तक कि साधारण सभा में शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया गया हो। पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर आबंटित करने हेतु यह प्रस्तावित किया गया है, जो बैंक के वर्तमान शेयर धारकों को यथानुपात के अलावा हैं, उक्त प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव सेबी-आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 72 के अंतर्गत भी अनिवार्य है।


13. वचन:

- डी) बैंक वचन देता है कि सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ भी करने की आवश्यकता है, इक्विटी शेयर के कीमत की पुनः गणना करेगा।
- ई) बैंक वचन देता है कि कीमत के पुनः गणना के कारण देय रकम का इन विनियमन में निर्दिष्ट समय के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो आबंटिती द्वारा रकम का भुगतान न किए जाने तक यह निर्दिष्ट प्रतिभूति की अवरूद्ध अवधि जारी रहेगी।

आपके निदेशक नोटिस में दिए गए विशेष संकल्प की संस्तुति करते हैं।

बैंक के कोई भी निदेशकगण इस नोटिस के संकल्प (पों) में उसी सीमा तक संबंधित या हितबद्ध माने जाएंगे जिस सीमा तक इस बैंक में उनकी शेयरधारिता है।

निदेशक मंडल के आदेश से



(एम.ओ. रेगो)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

मुंबई

दिनांक: 28.08.2015

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Bank of India will be held on Monday, the **28th September, 2015 at 10.30 AM at Bank of India Auditorium**, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051 to transact the following special businesses:

1. To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 [SEBI (ICDR) Regulations], Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot **upto 12,70,04,655 equity shares** of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹ **193.30 per share** including premium of ₹ **183.30** per equity share as determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations aggregating upto ₹ **2455/-** Crore on preferential basis to Government of India (President of India)."

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is **28th August, 2015.**"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or any of the Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board



(M.O. Rego)

Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 28.08.2015

Notes:

1. A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER. PROXY FORMS IN ORDER TO BE VALID AND EFFECTIVE MUST BE DELIVERED AT THE HEAD OFFICE OF THE BANK ON OR BEFORE THE CLOSING HOURS OF 4.30 P.M. ON WEDNESDAY, 23rd SEPTEMBER, 2015.
2. No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank on or before the closing hours of 4.30 p.m. on Wednesday, 23rd September, 2015.
3. For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.
4. The explanatory statement to the item on the agenda is annexed hereto.
5. The shareholders are requested to write to the Bank or to the Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Sharepro Services India Pvt. Ltd. regarding transfer of shares and for resolving grievances at the below address:

The Company Secretary
Bank of India, Head Office,
Star House, C – 5, 'G' Block
8th Floor, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai 400 051.

Phone: 66684444.

Email: headoffice.share@bankofindia.co.in

Website: www.bankofindia.co.in

Bank's Registrar and Share Transfer Agents:

M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.,
Unit : Bank of India
13 AB Samhita Warehousing Complex
Off. Andheri Kurla Road
Sakinaka Telephone Exchange Lane
Sakinaka, Andheri East
Mumbai 400 072

Tel : 22-67720300 / 67720400

Fax : 22-28591568

E mail: boi@shareproservices.com

6. Remote E-Voting

The Bank is pleased to provide e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice. The Bank has appointed M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Monday, September 21, 2015 being the Cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

7. E-voting Instructions

- (i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on September 21, 2015 (Cut-off Date) fixed for the purpose.
- (ii) The voting period will commence at 10.00 a.m. on Friday, 25th September, 2015 and will end at 5.00 p.m. on Sunday 27th September, 2015. The e-voting module shall also be disabled by NSDL at 5.00 p.m. on the same day.
- (iii) If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
- (iv) Initial password is provided as below at the bottom of the covering letter.
- (v) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>
- (vi) Click on Shareholder - Login.

- (vii) Insert user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.
- (viii) Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (ix) Home page of e-Voting opens. Click on e-Voting: Active Voting Cycles.
- (x) Select "EVEN" of 102875
- (xi) Now you are ready for e-Voting as Cast Vote page opens.
- (xii) Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- (xiii) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed
- (xiv) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote
- (xv) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority Letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
- (xvi) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account. However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total share holding of the Bank.
- (xvii) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- (xviii) The results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.
- (xix) Kindly note that once you have cast your vote you cannot modify or vote on poll at the Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.
- (xx) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com.
- (xxi) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

8. **Voting at the Meeting**

After the agenda item has been discussed, the Chairman will order voting in respect the item on the agenda. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. After conclusion of the voting, the Chairman shall declare the meeting as closed. The consolidated results of the voting at the Meeting and the remote e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII of SEBI ICDR Regulations.

Item number 1:

- The Bank is in the business of the banking and its related activities. At present, the Authorised Capital of the Bank is ₹ 3000 crore and the Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on date is ₹ 664.91 Crore.
- Presently, the shareholding of Government of India in our Bank is ₹ 428.37 Crore, which constitutes 64.43% of total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as on 30th June, 2015 is as under:

| Particulars | Amount ₹ in Crore | % of capital funds to risk weighted asset Basel-III |
|-------------------------------|-------------------|---|
| Risk Weighted Assets | 360,790 | |
| Common Equity Capital (CET-1) | 26,087 | 7.23% |
| Additional Tier-1 Capital | 3,618 | 1.00% |
| Tier-I Capital | 29,705 | 8.23% |
| Tier-II Capital | 9,069 | 2.51% |
| Total Capital | 38,774 | 10.75% |

- The Bank is growing at a normal pace at an reasonable average growth rate over the last many years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds by way of Preferential Issue of equity shares in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009 and as amended upto date to Government of India.
- The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to make the above-mentioned preferential issue and allotment.

5. Objects of the proposed Preferential Issue:

With a view to comply with BASEL (II & III) requirements relating to capital adequacy, there is an ever increasing need to raise capital. Government of India proposes to infuse additional equity capital into the Bank to strengthen the government owned financial institutions and banks. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

6. Proposal of the Promoters / Directors / Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:

None of the Director or Key Management Persons other than the Promoter of the Bank i.e. Government of India below intends to subscribe to the offer of equity shares.

7. Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:

| Sr. No. | Name of Shareholders | Pre-allotment in terms of No. of shares As on (30th June, 2015) | % of pre-allotment Paid Up Capital | Fresh Allotment of Shares | Post allotment in terms of No. of Shares (approx) | % of Post-allotment Paid Up Capital |
|---------|------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. | Promoter Group | | | | | |
| | The President of India | 42,83,67,513 | 64.43 | 12,70,04,655 | 55,53,72,168 | 70.13 |
| 2. | Public | 23,65,41,002 | 35.57 | - | 23,65,41,002 | 29.87 |
| 3 | Total | 66,49,08,515 | 100.00 | 12,70,04,655 | 79,19,13,170 | 100.00 |

8. The Pre and Post Issue shareholding of President of India is as under:-

| President of India | No. of equity shares | Percentage to Capital |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Pre-Issue | 42,83,67,513 | 64.43 |
| Post-Issue | 55,53,72,168 | 70.13 |

The time line within which the preferential issue shall be completed:

The Bank endeavors to complete the Issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

- a) Government of India vide their letter dated 19th August 2015 communicated its intention to infuse capital to the extent of ₹ 2455 crore (₹ Two Thousand Four Hundred and Fifty Five Crores Only) as preferential equity in the Bank in favour of the Government of India (President of India).
- b) Government of India, being Promoters of the Bank will continue to vests their control over the Bank and there will not be any change in the management / control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment
- c) As there would be more than 5% change in the shareholding of GOI (the promoter), application as required under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 will be made with SEBI for exemption from the applicability of the provisions of the said Regulations to the proposed preferential allotment.

9. **Pricing of the proposed Preferential Issue:**

The Issue Price will be determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations as amended upto date.

10. **Certification from Statutory Auditors:**

M/s. Grover, Lalla & Mehta, Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Bank, have certified that the issue of shares is being made in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. A copy of the said certificate will be available at the Extraordinary General Meeting on 28th September, 2015.

11. **Lock-in period:**

- A) As per SEBI Guidelines for Preferential Issues, the shares proposed to be issued on preferential basis to the Promoters i.e. Government of India and shall be subject to a lock-in of three years from the date of trading approval.
- a) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval granted by the stock exchange.

12. **Compliance:**

- a) The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- b) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- c) Clause 23 of the Listing Agreements executed by the Bank with the various stock exchanges in India where the Bank's Equity Shares are listed, provide inter-alia that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Shares other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72 of the SEBI-ICDR Regulations 2009.

13. **Undertakings:**

- d) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.
- e) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

Your Directors recommend, the Special Resolution as set out in the Notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank

By order of the Board



(M.O. Rego)

Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date: 28.08.2015

बैंक ऑफ़ इंडिया

रिश्तों की जमापूँजी

प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

फोलियो नं. _____
(यदि डीमेट न किया गया हो)

डीपी आईडी नं. _____
ग्राहक आई डी नं. _____
(यदि डीमेट किया गया हो)

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयरधारक हूँ/ हैं और मैं/हम एतद्वारा

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____

को या उनके न होने पर श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____

राज्य _____ को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से सोमवार दिनांक 28 सितंबर, 2015 को आयोजित बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में और संबंधित बैठक के स्थगन की स्थिति में मतदान के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

माह _____ की _____ 2015 को हस्ताक्षरित।

परोक्षी के हस्ताक्षर _____

नाम: _____

पता: _____

रसीदी टिकट

प्रथम /एकमात्र शेयर धारक के हस्ताक्षर

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

- कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह,
 - एकमात्र शेयरधारक व्यक्ति के मामले में शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
 - संयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो।
 - निगमित निकाय के मामले में लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिकारी या अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
- परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उनके अंगूठे का निशान वहां लगा है तो वह निशान न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
- कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत रसीदी टिकट न लगा हो और उसे निम्नलिखित पते पर वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले जमा नहीं कराया गया हो। उसके साथ उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी की प्रति या अन्य प्राधिकार जिसे नोटरी अथवा न्यायधीश ने सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, को बैंक में निम्न पते पर पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो।
बैंक ऑफ़ इंडिया, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, 8 वीं मंजिल, स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
- बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
- विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- परोक्षी की लिखत को निष्पादित करने वाले शेयरधारक वार्षिक असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ़ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।



Head Office: Star House, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Folio No. _____
(if not dematerialised)

DP ID No. _____
Client ID No. _____
(if dematerialised)

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

I/We, _____ resident of _____ in the district of _____
in the state of _____ being a shareholder/shareholders of Bank of India, hereby appoint Shri/
Smt _____, resident of _____
_____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him/her
Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of
_____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the
Meeting of the shareholders of Bank of India to be held on Monday , 28th September, 2015 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2015.

Signature of Proxy _____

Name _____

Address _____

Revenue
Stamp

Signature of first named/sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by his/her attorney, duly authorised in writing.
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank at
Bank of India, Share Department Head Office, 8th Floor Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank.

प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

असाधारण आम बैठक

दिनांक: 28 सितम्बर, 2015, समय: प्रातः 10.30 बजे

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date: 28th September, 2015, Time 10.30 AM

At the Bank of India Auditorium, Star House, 'C' 5 G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry)

| नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (सदस्य/परोक्षी/एआर) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR) | फोलियो क्र. ग्राहक आईडी नं. डीपी आईडी नं. FOLIO No./DPID No./CLIENT ID No. | शेयरों की संख्या No. of Shares |
|---|---|-----------------------------------|
| | | |

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Signature of Shareholder/Proxy/Representative present



प्रवेश पत्र

(पूरी बैठक के दौरान अपने पास रखा जाए)

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

| नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (सदस्य/परोक्षी/एआर) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR) | फोलियो क्र. ग्राहक आईडी नं. डीपी आईडी नं. FOLIO No./DPID No./CLIENT ID No. | शेयरों की संख्या No. of Shares |
|---|---|-----------------------------------|
| | | |

P.S.: बैठक के दौरान कोई उपहार / उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे / No gifts / gift copons will be distributed at the meeting.

GUIDING MAP FOR THE MEETING VENUE

